कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए उत्पादन लक्ष्य 140 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था और वास्तविक उत्पादन का अनुमान 13 लाख मीटरी टन पर लगाया गया है।

(ग) सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन का लक्ष्य 150-160 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(घ) उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की उत्पादन नीति नीचे दी गई है :—

(1) अरहर-गेहूं के फसल-चक्र में अरहर की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना ;

(2) सिंचित क्षेत्रों में ग्रीष्म दलहन की फसलों का प्रारम्भ।

(3) अवशिष्ट आर्द्रता का उपयोग के चावल की परती में दलहनों की खेती करना।

(4) धान्यों और नकदी फसलों के साथ दलहनों का अन्त: सस्यन।

(5) बीजों, उर्वरकों, पौध संरक्षण उपायों, राइजोबियम कल्चर आदि जैसे आदानों का उपयोग बढ़ाना।

पुरी जिले में आदिवासियों पर अत्याचार

3849. **श्री अजीत सिंह** : **क्या कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह में पुरी जिले के बारा पोखरिया ग्राम में अनेक आदिवासियों पर हमले किए गए और उनके आवासों को जला दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आवासों के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय समिति

3850. **श्री अजीत सिंह** : **क्या शहरी** शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवासों के निर्माण के लिए नक्शों को स्वीकृत करने तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या इस समिति से अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय में प्रस्तुत कर देने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विद्यमान भवन निर्माण नियंत्रण विनियमनों का पुनरीक्षण करने तथा बेहतर एवं शीघ्र निर्माण गतिविधियों के लिए उनमें संशोधन करने/सुव्यवस्थीकरण/उदार बनाने के उपाय सुझाने के लिए दिनांक 14-10-87 के दिल्ली प्रशासन के आदेशानुसार उप-राज्यपाल द्वारा दस सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। समिति से कहा गया है कि वह 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।